| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | बदायूं | — |
| 24. | पीलीभीत | — |
| 25. | नैनीताल | 108 |
| 26. | बरेली | 33 |
| 27. | बलिया | 73 |
| 28. | गाजीपुर | 15 |
| 29. | गोंडा | 121 |
| 30. | बहराइच | 99 |
| 31. | बस्ती | 92 |
| 32. | सिद्धार्थ नगर | 5 |
| 33. | गोरखपुर | 45 |
| 34. | महाराजगंज | 11 |
| 35. | आजमगढ़ | 103 |
| 36. | मऊ | 65 |
| 37. | देवरिया | 26 |
| 38. | सुल्तानपुर | 93 |
| 39. | रायबरेली | 16 |
| 40. | फतेहपुर | 29 |
| 41. | प्रतापगढ़ | 8 |
| 42. | मिर्जापुर | 20 |
| 43. | सोमभद्र | 21 |
| 44. | जौनपुर | 33 |
| 45. | चमोली | 34 |
| 46. | पौड़ी | 10 |
| 47. | टिहरी | 12 |
| 48. | उत्तरकाशी | — |
| 49. | मुजफ्फरनगर | 64 |
| 50. | सहारनपुर | 25 |
| 51. | हरिद्वार | 10 |
| 52. | देहरादून | 42 |
| 53. | लखनऊ | 96 |
| 54. | वाराणसी | 148 |
| 55. | इलाहाबाद | 39 |
| 56. | गाजियाबाद | 116 |
| 57. | बुलंदशहर | 87 |
| 58. | आगरा | 31 |
| 59. | फिरोजाबाद | 17 |
| 60. | मेरठ | 102 |
| 61. | कानपुर महर | 5 |
| 62. | कानपुर देहात | 45 |
| 63. | उन्नाव | 22 |
| | जोड़ | 2725 |

**दिल्ली टेलीफोन्स में टेलीफोन आपरेटर**

4376. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन्स में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर लिपिक प्रकृति का कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आपरेटरों की संख्या कितनी थी जो वर्ष 1993 के दौरान लिपिक प्रकृति का कार्य कर रहे थे ;

(ग) क्या लिपिक प्रकृति के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और टेलीफोन आपरेटरों के वेतनमानों के बीच कोई असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो लिपिक प्रकृति का कार्य करने के बावजूद उन्हें टेलीफोन आपरेटर का वेतनमान दिये जाने का क्या औचित्य है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू)** : (क) टेलीफोन आपरेटर टेलीफोन आपरेटरों का कार्य कर रहे हैं तथापि ऐसे कुछ के अपवाद हैं जहां आपरेटर लिपिकीय प्रकृति का कार्य कर रहे हैं ।

(ख) कुल 3886 टेलीफोन ऑपरेटरों में से 41 वर्ष 1993 के दौरान अस्थाई रूप से लिपिकीय प्रकृति का कार्य करते रहे है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**उत्तर प्रदेश में "पे-फोन" कनेक्शन**

4377. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "पे-फोन" आवंटित किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को किन-किन स्थानों पर ऐसे कनेक्शन आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।